रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2006/चैत्र 29, 1928
No. 158] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2006/CHAITRA 29, 1928

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

सा.का.नि. 221(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित धारा 60 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालित लाइनें) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइनें) साधारण संशोधन नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976, में :-

(क) "ड्राइवर या ड्राइवरों " शब्दों के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं "लोको पायलट या लोको पायलटों " शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) नियम 3.83 के उप नियम (1) और (2) में, "प्रथम फायरमैन या सहायक ड्राइवर" शब्दों के स्थान पर " सहायक लोको पायलट" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) नियम 4.04 में, "प्रत्येक गार्ड, ड्राइवर, सहायक ड्राइवर या फायरमैन" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक गार्ड, लोको पायलट, या सहायक लोको पायलट" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) नियम 4.20 के उप नियम (1) में, "सहायक ड्राइवर या फायरमैन" शब्दों के स्थान पर "सहायक लोको पायलट" शब्द रखे जाएंगे ;

(ड.) नियम 4.20 के उप नियम (3) में, "सहायक ड्राइवर या फायरमैन, यदि वह यथाविधि योग्यता प्राप्त है तो, गाड़ी को सतर्कतापूर्वक अगले स्टेशन तक ले जा सकता है और यदि सहायक ड्राइवर या फायरमैन यथाविधि योग्यता प्राप्त नहीं है " शब्दों के स्थान पर "सहायक लोको पायलट, यदि सम्यक रूप से अर्हित है तो, गाड़ी को सतर्कतापूर्वक अगले स्टेशन तक ले जा सकता है और यदि सहायक लोको पायलट सम्यक रूप से अर्हित नहीं है " शब्द रखे जाएंगे ;

(च) नियम 4.21 के उप नियम (2) के उप खंड (ख) में, "सहायक ड्राइवर" शब्दों के स्थान पर "सहायक लोको पायलट" शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) विद्यमान नियम 4.38 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :-

"4.38. सहायक लोको पायलट, लोको पायलटों की आज्ञा मानेंगे - सब बातों के बारे में सहायक लोको पायलट अपने लोको पायलटों के विधिपूर्ण आदेशों का पालन करेंगे।";

(ज) विद्यमान नियम 4.40 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :-

"4.40. लोको पायलट और सहायक लोको पायलट पूरी तरह निगाह रखेंगे - जब गाड़ी चल रही है तो प्रत्येक लोको पायलट पूरी तरह निगाह रखेगा और प्रत्येक सहायक लोको पायलट भी, जब वह अन्यथा कोई आवश्यक कार्य नहीं कर रहा है, ऐसा ही करेगा।" ;

(झ) विद्यमान नियम 4.41 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :-

"4.41 लोको पायलट और सहायक लोको पायलट पीछे की ओर निगाह रखेंगे - यात्रा के दौरान लोको पायलट और सहायक लोको पायलट यह देखने के लिए बार-बार पीछे देखते रहेंगे कि गाड़ी उनके पीछे सुरक्षित और सही ढंग से आ रही है या नहीं ।";

(ञ) नियम 4.44 के उप नियम (1) में ,:-

(i) "फायरमैन या सहायक ड्राइवर " शब्दों के स्थान पर, "सहायक लोको पायलट" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "ब्रेकसमैन या फायरमैन या सहायक ड्राइवर" शब्दों के स्थान पर "ब्रेकसमैन या सहायक लोको पायलट" शब्द रखे जाएंगे;

(ट) नियम 4.52 में, "ड्राइवर या फायरमैन" शब्दों के स्थान पर, "लोको पायलट या सहायक लोको पायलट" शब्द रखे जाएंगे ;

(ठ) नियम 6.03 के उप नियम (ii) में, "सहायक ड्राइवर अथवा फायरमैन" शब्दों के स्थान पर "सहायक लोको पायलट" शब्द रखे जाएंगे;

(ड) नियम 9.02 के उप नियम (3) में, "फायरमैन या सहायक ड्राइवर" शब्दों के स्थान पर "सहायक लोको पायलट" शब्द रखे जाएंगे.

(ढ) नियम 9.07 के उप नियम (5) में, "फायरमैन या सहायक ड्राइवर" शब्दों के स्थान पर "सहायक लोको पायलट" शब्द रखे जाएंगे.

(ण) नियम 9.15 के उप नियम (ख) में, "फाटक वाले से तथा उसके न होने पर फायरमैन या सहायक ड्राइवर से "शब्दों से प्रारम्भ होने वाले और "इन कर्त्तव्यों का पालन गार्ड को करना होगा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के लिए, निम्नलिखित को रखा जाए अर्थात् :-

"फाटक वाले से तथा उसकी अनुपस्थिति में सहायक लोको पायलट से हैंड सिगनल मिलने पर लोको पायलट निर्धारित कोड में सीटी बजाएगा और, यथा स्थिति, नियम 9.02 या 9.07 के उपबंधों का पालन करते हुए, अगले रोक (स्टॉप) सिगनल तक सतर्कता से आगे बढ़ेगा; सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में इन कर्त्तव्यों का पालन गार्ड को करना होगा।"

(त) नियम 12.10 के उप नियम (1) में, "फायरमैन" शब्द के स्थान पर "सहायक लोको पायलट" शब्द रखे जाएंगे,

(थ) नियम 12.10 के उप नियम (3) में, "फायरमैन" शब्द के स्थान पर "सहायक लोको पायलट" शब्द रखे जाएंगे,

(द) नियम 13.04 के उप नियम (4) में, "फायरमैन या सहायक ड्राइवर" शब्दों के स्थान पर "सहायक लोको पायलट" शब्द रखे जाएंगे.

[सं. 2004/संरक्षा (ए एण्ड आर)/19/15]

एस. बी. घोष दस्तीदार, सदस्य यातायात तथा पदेन सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग -II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 445(अ) तारीख 21 जुलाई,1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए : -

(1) सा.का.नि. 320, तारीख 16 अप्रैल, 1983,
(2) सा.का.नि. 352, तारीख 30 अप्रैल, 1983,
(3) सा.का.नि. 514(अ), तारीख 27 जून, 1983,
(4) सा.का.नि. 476(अ), तारीख 28 जून, 1984,
(5) सा.का.नि. 245, तारीख 23 मई, 1992,
(6) सा.का.नि. 83, तारीख 17 फरवरी, 1996,
(7) सा.का.नि. 101, तारीख 23 मई, 1998,
(8) सा.का.नि. 47, तारीख 13 फरवरी, 1999,
(9) सा.का.नि. 213(अ), तारीख 18 मार्च, 1999,
(10) सा.का.नि. 283(अ), तारीख 26 अप्रैल, 1999,
(11) सा.का.नि. 581(अ), तारीख 03 जुलाई, 2000,
(12) सा.का.नि. 708(अ), तारीख 6 सितंबर, 2000,
(13) सा.का.नि. 852(अ), तारीख 8 नवंबर, 2000,
(14) सा.का.नि. 893 (अ), तारीख 24 नवंबर, 2000,
(15) सा.का.नि. 913 (अ), तारीख 12 दिसंबर, 2000,
(16) सा.का.नि. 394 (अ), तारीख 31 मई, 2002 तथा
(17) सा.का.नि. 842 (अ), तारीख 27 दिसंबर, 2002.

IndiaCode

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2006

G.S.R. 221(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 60, read with Section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, -

(a) for the words "Driver or Drivers" wherever they occur, the words, "Loco Pilot or Loco Pilots" shall be substituted;

(b) in sub-rules (1) and (2) of rule 3.83, for the words "first Fireman or the Assistant Driver," the words, "Assistant Loco Pilot" shall be substituted;

(c) in rule 4.04, for the words "Every Guard, Driver, Assistant Driver or Fireman" the words, "Every Guard, Loco Pilot or Assistant Loco Pilot," shall be substituted;

(d) in sub-rule (1) of rule 4.20, for the words "the Assistant Driver or the Fireman" the words, "the Assistant Loco Pilot" shall be substituted;

(e) in sub-rule (3) of rule 4.20, for the words "the Assistant Driver or the Fireman, if duly qualified, may work the train to the next station cautiously and where the Assistant Driver or the Fireman

is not duly qualified," the words, "the Assistant Loco Pilot, if duly qualified, may work the train to the next station cautiously and where the Assistant Loco Pilot is not duly qualified," shall be substituted;

(f) in sub-clause (b) of sub-rule (2) of rule 4.21, for the words "the Assistant Driver", the words, "the Assistant Loco Pilot" shall be substituted;

(g) for the existing rule 4.38, the following shall be substituted namely:-

"**4.38. Assistant Loco Pilots to obey Loco Pilots.-** The Assistant Loco Pilots shall obey the lawful orders of their Loco Pilots in all particulars." ;

(h) for the existing rule 4.40, the following shall be substituted namely:-

"**4.40. Loco Pilot and Assistant Loco Pilots to keep a good look out.-** Every Loco Pilot shall keep a good look out while the train is in motion, and every Assistant Loco Pilot shall also do so when he is not necessarily otherwise engaged.";

(i) for the existing rule 4.41, the following shall be substituted namely:-

"**4.41. The Loco Pilot and Assistant Loco Pilot to look back.-** The Loco Pilot and Assistant Loco Pilot shall look back frequently during the journey to see whether the train is following in a safe and proper manner.";

(j) in sub-rule (1) of rule 4.44,-

(i) for the words, "depute a Fireman or Assistant Driver", the words, "depute an Assistant Loco Pilot" shall be substituted;

(ii) for the words, "The Brakesman or Fireman or Assistant Driver" the words, "The Brakesman or Assistant Loco Pilot" shall be substituted;

(k) in rule 4.52, for the words "A Driver or Fireman," the words, "A Loco Pilot or Assistant Loco Pilot" shall be substituted;

(l) in sub-rule (ii) of rule 6.03, for the words "Assistant Driver or Fireman" the words, "Assistant Loco Pilot" shall be substituted;

(m) in sub-rule (3) of rule 9.02, for the words "Fireman or an Assistant Driver," the words, "Assistant Loco Pilot," shall be substituted;

(n) in sub rule (5) of rule 9.07, for the words "Fireman or Assistant Driver," the words, "Assistant Loco Pilot," shall be substituted;

(o) in sub-rule (b) of rule 9.15, for the portion beginning with the words "absence from the Fireman or Assistant Driver" and ending with the words, "in the absence of the Fireman or Assistant Driver", the following shall be substituted namely:-

"absence from the Assistant Loco Pilot, the Loco Pilot shall sound the prescribed code of whistle and cautiously proceed up to the next Stop signal complying with the provisions of rule 9.02 or 9.07 as the case may be; in the absence of the Assistant Loco Pilot, ";

IndiaCode

(p) in sub-rule (1) of rule 12.10, for the words "the Fireman" the words, "the Assistant Loco Pilot, " shall be substituted;

(q) in sub-rule (3) of rule 12.10, for the words "the Fireman" the words, "the Assistant Loco Pilot" shall be substituted;

(r) in sub-rule (4) of rule 13.04, for the words "the Fireman or the Assistant Driver," the words, "the Assistant loco Pilot," shall be substituted;

[No. 2004/Safety (A&R)/19/15]

S. B. GHOSH DASTIDAR, Member Traffic, and Ex-Officio Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 445(E), dated the 21st July, 1981 and subsequently amended by—

(1) G.S.R. 320, dated the 16th April, 1983,
(2) G.S.R. 352, dated the 30th April, 1983,
(3) G.S.R. 514(E), dated the 27th June, 1983,
(4) G.S.R. 476(E), dated the 28th June, 1984,
(5) G.S.R. 245, dated the 23rd May, 1992,
(6) G.S.R. 83, dated the 17th February, 1996,
(7) G.S.R. 101, dated the 23rd May, 1998,
(8) G.S.R. 47, dated the 13th February, 1999,
(9) G.S.R. 213(E), dated the 18th March, 1999,
(10) G.S.R. 283(E), dated the 26th April, 1999,
(11) G.S.R. 581(E), dated the 3rd July, 2000,
(12) G.S.R. 708(E), dated the 6th September, 2000,
(13) G.S.R. 852(E), dated the 8th November, 2000,
(14) G.S.R. 893(E), dated the 24th November, 2000,
(15) G.S.R. 913(E), dated the 12th December, 2000,
(16) G.S.R. 394(E), dated the 31st May, 2002 and
(17) G.S.R. 842(E), dated the 27th December, 2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.